अति आवश्यक

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद./निकाशि/ऑन लाईन प्रवेश/2012/ 529 दिनांकः 13 मई,2013

समस्त प्राचार्य
ऑन लाईन एडमिशन से संबंधित
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान

विषय– ऑन लाईन एडमिशन प्रक्रिया के संबंध में ।

महोदय,

निदेशालय द्वारा प्राचार्य कार्यशाला दिनांक 8.5.2013 के उपरान्त आपके महाविद्यालयों में ऑन लाईन एडमिशन लागू किया जाना है। इस हेतु महाविद्यालय में एक प्रकोष्ठ स्थापित करें जिसमें प्रत्येक संकाय के प्रवेश संबंधी जानकारी रखने वाले प्रवेश समिति सदस्य हो । यह प्रकोष्ठ निदेशालय में स्थापित प्रकोष्ठ से इस संबंध में चर्चा हेतु फोन/ मोबाइल पर उपलब्ध रहें।

चूँकि इस प्रक्रिया में महाविद्यालय के प्रवेश संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे (पाठयक्रम,उपलब्ध स्थान व फीस इत्यादि) की जानकारी निदेशालय प्रकोष्ठ तक तुरंत पहुँचनी अत्यावश्यक है। सूचना भेजने में विलम्ब होने पर समय सीमा का उल्लघंन होता है कि जो कि महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यह भी सुश्चित करें कि महाविद्यालय प्राचार्य /एडमिशन नोडल अधिकारी का ई–मेल दिन में तीन बार अवश्य रूप से देखा जावें जिससे इसमें चाही गयी जानकारी तुरंत भेजी जा सके।

अतः प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करे कि यह महाविद्यालय प्रकोष्ठ निदेशालय से निरंतर सम्पर्क में है । निदेशालय द्वारा जारी ई–मेल व फोन का प्रत्युतर निर्धारित अवधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

इस अति आवश्यक रूप से लागू किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसकी सूचना निदेशक महोदय को dce.egov@gmail.com पर दिनांक 15 मई 2013 तक प्रेषित करें।

भवदीय

संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 7(4)अकाद./निकाशि/ऑन लाईन प्रवेश/2012/ 529 दिनांकः 13 मई,2013

प्रतिलिपि

1 समस्त सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कालेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर,जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त विषयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर अपने संभागीय महाविद्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित कर सूचना इकजाई कर dce.egov@gmail.com पर दिनांक 15 मई 2013 तक प्रेषित करें।

2 डा धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता प्रभारी वेबसाइट कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

संयुक्त निदेशक